


06—मुखिया परिवर्तन हेतु फार्म

आवेदक/राशन कार्डधारक का नाम	
राशनकार्ड क्रमांक	
जिला	
ब्लॉक/निकाय	
ग्राम पंचायत/नगर क्षेत्र का नाम	
उचित दर विक्रेता का नाम	
नये मुखिया का नाम	
नये मुखिया का मो0 नम्बर	
नये मुखिया का आधार नम्बर	
नवीन मुखिया की फोटोग्राफ	

- उद्घोषणा**—मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनाओं में यदि कोई सूचना गलत अथवा भ्रामक पायी जाती है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं मेरा होगा।
- उद्घोषणा**— वर्तमान में मेरे परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई ऐसी महिला नहीं है, जिसे राशन कार्ड का मुखिया बनाया जा सके। भविष्य में मेरे परिवार की महिला की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उसे राशन कार्ड का मुखिया बना दिया जायेगा (पुरुष मुखिया हेतु आवेदन की दशा में)।

आवेदक/राशन कार्ड मुखिया
के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।